

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार माउंट आबू में विकास कार्यों के लिए सहायता उपलब्ध करायेगी ताकि राज्य सरकार अपने कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित कर सके, और यदि हां, तो किस सीमा तक और उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद प्रालम खान) : जी, हां।

(ख) और (ग) माउंट आबू विकास समिति की बैठक अभी तक नहीं हुई है। माउंट आबू में सुविधाओं के विकास के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के प्रस्तावों पर, जब भी वे राज्य सरकार से प्राप्त होंगे, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाएगा।

Raising Dividends of Unit Trust of India

1012. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Unit Trust of India raised the dividends for the year ended 30 June, 1983; and

(b) if so, by how much?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) Yes, Sir. In view of the better performance during the year ended 30th June, 1983, the Unit Trust of India has raised the dividends under its various schemes as given below :—

Schemes	Dividend in percentage	
	From	To
1. Unit Scheme 1964	12.5	13.5
2. Unit Linked Insurance Plan, 1971	9.5	10.5

3. Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies, 1981	12.5	12.75
--	------	-------

Under the closed-end scheme of the Trust viz. Income Unit Scheme, 1982 and the Monthly Income Scheme, 1983, the dividend of 12% each was declared for the year as was promised.

Loss due to Abolition of Sales Tax

1013. SHRI SUNIL MAITRA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have decided for abolition of Sales Tax on life-saving drugs, paper and paper products, vanaspati, petroleum and its products and cement;

(b) if so, whether Government have taken the views of the different State Governments before abolition of the said tax; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATABHI RAMA RAO) : (a) to (c) In pursuance of the Resolution adopted in the Chief Ministers' Conference on Sales Tax held on 15.2.1981, inter alia, for inclusion in the list of 'declared goods' and for levy of additional excise duty in lieu of sales tax on vanaspati, drugs and medicines, cement, paper and paper board and petroleum products, an Expert Committee under the Chairmanship of Shri Mohanlal Sukhadia, M.P., and on his demise, Shri Kamalapati Tripathi, M.P., was appointed to study the financial implications of the aforesaid proposal and the manner in which the financial interests of the States can be safeguarded. The proposal is thus for replacement of sales tax by additional excise duty and not for abolition of sales tax on the five commodities. The Committee submitted its Report on 29.1.1983 which was placed on the Tables of both the Houses on 29.4.83. The Report has been circulated to the State Governments for their views. In

terms of the resolution of the Chief Ministers' Conference on sales tax referred to above, the Report of the Committee is to be placed before a Conference of Chief Ministers to be called for this purpose for appropriate consideration.

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों की वसूली में कठिनाई

1014. श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री बीजू पटनायक :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक तथा वित्तीय संस्थान उनके द्वारा दिए ऋणों की वसूली में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार अदा न किए जाने वाले ऐसे ऋणों की संख्या और कुल राशि कितनी है ;

(ग) इन ऋणों की वसूली के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(घ) क्या सरकार ने इन ऋणों की वसूली के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत योजना क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कई मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा दिए गए ऋणों वसूली में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) मार्च, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) द्वारा सीधे सहायता प्राप्त 289 एककों ने कुल 157 करोड़ रुपए की राशि का व्यतिक्रम किया था । यह बकाया राशि

का 5 प्रतिशत से कम थी । 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के मुताबिक 183 प्रतिष्ठानों द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को देय राशियों की अदायगी में 50.33 करोड़ रुपये की राशि का व्यतिक्रम किया गया था जो कि बकाया राशियों का 6.2 प्रतिशत बैठता है । जून, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की ओर 28.14 करोड़ रुपए की अतिदेय राशि थी जो कि कुल बकाया राशियों का 2.7 प्रतिशत बैठती है । बैंकों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) वित्तीय संस्थाएं, सहायता प्राप्त कम्पनियों से अनुवर्ती कार्रवाई, आवधिक निरीक्षणों के द्वारा तथा नामित निदेशकों के माध्यम से अतिदेय रकमों की वसूली करने के लिए निरन्तर प्रयास करती रहती हैं । वसूली प्रयासों पर नजर रखने तथा उनका समन्वय करने के लिए आई.डी.बी.आई. में एक विशेष वसूली कक्ष की स्थापना की गई है । वित्तीय संस्थाएं अग्रिमों की वापसी प्रतिभूतियों को प्रभावी बनाने का भी सहारा ले सकती हैं और उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्रवाई भी आरंभ कर सकती हैं ।

(घ) वसूली करने के वास्ते ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Winding up of Exhibition Organised by Handloom and Handicrafts Export Corporation in Saudi Arabia

1015. SHRI J. S. PATIL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an exhibition organised by the Handloom and Handicraft Export Corporation in Saudi Arabia